

आश्रय का अधिकार: मौलिक अधिकार

प्रलिस के लयि:

[सर्वोच्च न्यायालय, आश्रय का अधिकार, रेलवे, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21, आवास, गोपनीयता, कानून की उचित प्रकरया, भूमिसीमा, अनुच्छेद 19\(1\)\(e\), प्रधानमंत्री आवास योजना \(PMAY\), राष्ट्रीय शहरी आवास नधि \(NUHF\), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन, दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन \(DAY-NULM\), वन संसाधन, रयिल एस्टेट \(वनियमन और वकिस\) अधनियम \(RERA\), 2016, भूमिअधगिरहण में उचित मुआवजा और पारदरशति का अधिकार, पुनरवास और पुनरस्थापन अधनियम, 2013](#)

मेन्स के लयि:

आर्थक वकिस और मौलक अधिकारों के बीच संतुलन ।

स्रोत: द हट्टि

चरचा में कयों?

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने हलद्वानी में [रेलवे के अवसंरचनात्मक वकिस](#) और रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले आरोपयों के लयि [आश्रय के मौलक अधिकार](#) के बीच संतुलन बनाने का आह्वान कयि ।

- न्यायालय ने आगे कहा क उसके आदेशों की गलत व्याख्या भवयि में सार्वजनक भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने के रूप में भी नहीं की जा सकती ।

आश्रय का अधिकार क्या है और इसमें शामिल महत्त्वपूर्ण संवैधानक प्रावधान क्या हैं?

- भारत में [आश्रय के अधिकार](#) को भारतीय संवधान के [अनुच्छेद 21](#) द्वारा गारंटीकृत [जीवन के अधिकार](#) के व्यापक दायरे के तहत एक [मौलक अधिकार](#) के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
 - यह अधिकार सुनश्चित करता है क प्रत्येक नागरक को [पर्याप्त आवास](#) उपलब्ध हो, जसि [गरमिपूरण जीवन जीने के लयि आवश्यक](#) माना जाता है ।
 - इसका तात्पर्य केवल सरि पर छत अरथात् [आश्रय ही नहीं](#) है, बल्क इसमें [पर्याप्त गोपनीयता](#), स्थान, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, वेंटलेशन, बुनयिदी ढाँचा और कार्यस्थलों व सामाजक सुवधाओं से नकिटता भी शामिल है ।
- उचित [पुनरवास](#) और उचित [प्रकरया](#) के बनिा लोगों का [जबरन आश्रय](#) से [नषिकासन/बेदखली](#) आश्रय के [अधिकार का उल्लंघन](#) करती है ।

आश्रय से नषिकासन/बेदखली के संबंध में नैतिक वचार क्या हैं?

- [मानवाधिकार उल्लंघन](#): प्रत्येक व्यक्ती को [सुरक्षति आवास/आश्रय का अधिकार](#) है और [पर्याप्त वैकल्पक व्यवस्था के बनिा बेदखली](#) इस अधिकार को कमजोर करती है ।
- [अनुपातहीन प्रभाव](#): बेदखली से [गरीब, दवियांग और बुजुर्ग सहति हाशयि पर पड़े समूहों](#) पर असमान रूप से असर पड़ता है, जनिके पास स्थानांतरति होने या पुनरवास/अनुकूलन के लयि कम संसाधन हो सकते हैं ।
- [वकिलपों का अभाव](#): कभी-कभी वैकल्पक आवास समाधान या [सहायता सेवाओं की पेशकश कयि बनिा बेदखली](#) की जाती है, जसिसे लोगों के पास पुनरवासन/अनुकूलन के लयि कोई स्थान नहीं बचता ।

आश्रय के अधिकार से संबंधति न्यायक नरिणय क्या हैं?

- [ओल्गा टेलसि \[2\]\[2\]\[2\]\[2\] बॉम्बे मयुनसिपिल कॉरपोरेशन \(1985\)](#): झुग्गीवासयों ने वैकल्पक आवास के बनिा बेदखली के खिलाफ दलील देते हुए एक जनहति याचकिया दायर की । न्यायालय ने माना क [बेदखली आजीविका के अधिकार का उल्लंघन](#) है तथा आजीविका के पर्याप्त साधन

सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित न करना राज्य का कर्तव्य है।

- **महाराष्ट्र राज्य [?] [?] [?] बसंती भाई खेतान (1986):** सर्वोच्च न्यायालय ने **भूमि हदबंदी कानून** को कायम रखते हुए कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। हालाँकि, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है।
- **चमेली सहि [?] [?] [?] उत्तर प्रदेश राज्य (1995):** न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि आश्रय का अधिकार **अनुच्छेद 21** और **नवास का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(e)]** के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
- **अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन [?] [?] [?] अहमद सहि और गुलाब सहि (1996):** ओलगा टेलसि मामले की तरह, न्यायालय ने फ्लूटपाथ पर रहने वालों को इस शर्त पर बेदखल करने की अनुमति दी कि उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- **सुदामा सहि एवं अन्य [?] [?] [?] दिल्ली राज्य एवं अन्य (2010):** याचिकाकर्ताओं ने झुग्गी बस्तियों से पुनर्वास की मांग की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नरिणय दया कि कसि भी बेदखली में पर्याप्त मुआवज़ा या वैकल्पिक आवास शामिल होना चाहिये।

लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** यह देश के निम्न एवं मध्यम आय वाले नवासियों के लिये **कफायती आवास तक पहुँच** की सुविधा हेतु भारत सरकार की एक **करेडिट-लकिड सबसिडी योजना** है।
- **राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (NUHF):** यह **आवास योजनाओं** के कार्यान्वयन के लिये राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन:** इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को **लाभकारी स्वरोज़गार** के साथ ही **कुशल मज़दूरी के अवसरों तक पहुँच** प्रदान करके **नरिधनता को कम** करना है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार होगा।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन (DAY-NULM):** इसका उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय उपलब्ध कराना है।
- **झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) योजना:** विशेष रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय यह योजना **झुग्गीवासियों के लिये आवास उपलब्धता के साथ उनके पुनर्वास पर केंद्रित** है।

भारत में आश्रय के अधिकार का समर्थन करने के लिये कौन-से कानून बनाए गए हैं?

- **गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार और उनमूलन) अधिनियम, 1956:**
 - यह सरकार को उन **झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का अधिकार** देता है जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों के कारण नवास की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं।
 - ऐसे मामलों में अनुपयुक्त आवास को बेहतर, अधिक सतत संरचनाओं से परिवर्तित करने के लिये **पुनर्विकास योजनाएँ तैयार** की जाती हैं।
- **अनुसूचित जनजात और अन्य परंपरागत वननवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006:**
 - यह आजीविका के लिये नवास या स्व-कृषि के लिये **व्यक्तगित** अथवा **साझा अधगिरहण** के तहत वन भूमि पर कब्ज़ा करने और रहने का अधिकार प्रदान करता है।
 - यह वन समुदायों के **वन संसाधनों** का उपयोग एवं प्रबंधन करने के अधिकारों को भी मान्यता देता है।
- **रयिल एसटेट (वनिधिमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA):**
 - यह आवासीय परियोजनाओं की पारदर्शिता, जवाबदेहता तथा समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिये **रयिल एसटेट क्षेत्र** को नरिंतरित करता है।
 - यह परियोजनाओं के पंजीकरण को अनवार्य करके तथा शकियत नवारण तंत्र प्रकी उपलब्धता द्वारा घर खरीदारों को संरक्षण प्रदान करता है।
- **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013:**
 - इसमें **भूमि अधगिरहण** से परभावित लोगों के **पुनर्स्थापन और पुनर्वास** के लिये वसितृत प्रावधान शामिल किये गए हैं।
 - यह सुनिश्चित करता है कि वसिस्थापित परिवारों को आवास के साथ-साथ अपने जीवन के पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिये सहायता प्राप्त हो।
- **आदर्श करिादारी अधिनियम, 2021:**
 - इसका उद्देश्य **वविाद समाधान** हेतु त्वरित नरिणय तंत्र स्थापित करना, परसिर के करिये को वनिधिमति करना और मकान मालिकों तथा करियेदारों के **हतिों का संरक्षण** करना है।

विकास परियोजनाओं और आश्रय के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है?

- **वैकल्पिक आवास समाधान:** विकास परियोजनाओं के कारण **वसिस्थापित** लोगों के लिये पर्याप्त **वैकल्पिक आवास** का विकल्प प्रदान करना।
- **वधिक सुरक्षा और नषिकष प्रकरियाएँ:** यह सुनिश्चित करना कि यदि आवश्यक हो, तो वसिस्थापन उचित प्रतिकर और सहायता के साथ **वैध एवं न्यायपूर्ण वधि** से कया जाए।
- **सामुदायिक विकास और एकीकरण:** स्थानीय बुनियादी ढाँचे, सेवाओं और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिये परियोजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को शामिल करना।
- **दीर्घकालिक योजना:** **शहरी नयिोजन** और **आवास** के लिये दीर्घकालिक रणनीतियाँ वकिसति करना, जो विकास लक्ष्यों को कफायती और सुलभ आवास की आवश्यकता के साथ एकीकृत करती हैं।

नषिकर्ष:

उच्चतम न्यायालय ने आश्रय के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए इसकी मौलिक प्रकृति पर बल दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य कफायती आवास उपलब्ध कराने की दशा में कार्य करने के लिये बाध्य है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सभी आवासों का निर्माण करना चाहिये या सभी वसिस्थापनों को रोकना चाहिये। आश्रय का अधिकार, भूमिके अधिकार से पृथक् स्पष्ट जानकारी और यथार्थवादी अपेक्षाओं की आवश्यकता को व्यक्त करता है। इसके मूल तत्त्व को पहचानकर, व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्थन कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक नविरण की मांग कर सकते हैं।

?????? ???? ????:

प्रश्न. विकास और व्यक्तियों के मौलिक अधिकार प्रायः परस्पर वरिधी होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरण के साथ समझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????

प्रश्न. भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जनि वभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है, उनकी वविचना कीजयि। (2013)

प्रश्न. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुवधियों का प्रावधान (PURA) का आधार संयोजकता (मेल) स्थापति करने में नहिति है। टपिपणी कीजयि। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/right-to-shelter-as-fundamental-right>

